मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 1402/NR-3/IMP/NREGS-MP/2011 भोपाल, दिनांक 09/02/2011

आदेश क्रमांक 06

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषय :– समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में नियुक्त पी.आई.ए. एवं ग्राम पंचायत के मध्य समन्वय बावत् ।

समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आदेश क्र.–2 अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वन हेतु नियुक्त शासकीय अथवा अशासकीय परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) तथा ग्राम पंचायत के मध्य अधिनियम के प्रावधानों तथा योजना के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार संस्थागत व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

1. ग्राम पंचायत के सचिव समेकित माइक्रो प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त शासकीय अथवा अशासकीय परियोजना, क्रियान्वयन दल के पदेन सदस्य रहेंगे। इसी प्रकार जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक नियुक्त किये गये हैं, वे भी उपरोक्तानुसार शासकीय अथवा अशासकीय, परियोजना क्रियान्वयन दल के पदेन सदस्य रहेंगे। यह व्यवस्था शासकीय एवं अशासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल दोनों ही में रहेगी। उक्त के संबंध में आदेश संबंधित विकासखण्ड के क्लस्टर में आने वाली ग्राम पंचायतों के लिये क्रियान्वयन हेतु नियुक्त पी.आई.ए. का विवरण सहित कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी किया जावेगा ।

2. सचिव, ग्राम पंचायत समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट कियान्वयन हेतु पी.आई.ए. को कार्ययोजना तैयार करने हेतु मनरेगा योजना के गत वर्षो में संचालन संबंधी जानकारी, अभिलेख इत्यादि चाहे जाने पर अवलोकन हेतु उपलब्ध करायेंगे।

3. सचिव, ग्राम पंचायत क्रियान्वयन के दौरान मनरेगा अधिनियम अनुसार ग्राम पंचायत स्तर से की जाने वाली समस्त कार्रवाई समन्वय से सुनिश्चित करायेंगे।

4. सचिव, ग्राम पंचायत ग्रामों के चयन, सर्वेक्षण एवं आधारभूत जानकारी संकलन, पी.आर.ए., नेटप्लानिंग, कार्ययोजना का ग्रामसभा से अनुमोदन, कार्यवार क्रियान्वयन एजेंसी निर्धारण स्वरूप, मनरेगा उपयोजनाएं तथा आजीविका गतिविधियों हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के चयन का अनुमोदन, प्रचार–प्रसार एवं अन्य आवश्यक गतिविधि/कार्यवाही में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

5. ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त रोजगार सहायक अपने दायित्वों के साथ–साथ पी.आई.ए. दल के सक्रिय पदेन सदस्य के रूप में सहयोग एवं कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. नियुक्त पी.आई.ए. का यह दायित्व होगा कि वे समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट के तहत् जारी अद्यतन तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेंगे। पी.आई.ए. तीन वर्षीय वर्षवार कार्ययोजना की प्रति, समय–समय पर प्राप्त आवंटन, संकलित मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति इत्यादि समस्त जानकारी संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेंगे।

7. समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट अंतर्गत जारी आदेश क्रमांक–4 एवं 5 अनुसार कार्ययोजना अनुसार वर्गीकृत कार्यो के ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन में आवश्यक सभी तकनीकी एवं वांछित सहयोग पी.आई.ए. द्वारा प्रदान किया जावेगा।

पी.आई.ए. तथा ग्राम पंचायत के मध्य निरंतर संपर्क एवं समन्वय दोनों स्तर से किया जाकर मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावेगा।

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 1403 / NR-3/IMP/NREGS-MP/2011 भोपाल, दि. 09/02/2011

प्रतिलिपि,

1. संभागायुक्त, समस्त (म.प्र.)
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, अधारताल, जबलपुर, म.प्र.

अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग